न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा0पत्र/01/2014

रूपराम पुत्र रोशनलाल जाति खाती निवासी ग्राम भौसींगा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

.....प्रार्थी

बनाम

1. बुद्वि पुत्र चिरमोली जाटव निवासी ग्राम भौसींगा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार सरकार भरतपुर।
3. अध्यक्ष पट्टा कमेटी जरिये तहसीलदार नदबई।

.....अप्रार्थी0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4)कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आंबटन नियम 1970 बाबत् आराजी खसरा नम्बर 64 रकबा 0.08 एयर वाके ग्राम भौसींगा तहसील नदबई आदेश दिनांक 09.10.1976।

उपस्थितः—
1— श्री पुरूषोत्तम मुद्गल अभिभाषक प्रार्थी
2— श्री प्रमोद कुमार उपमन अभिभाषक अप्रार्थी स0 1

निर्णय

दिनांक 02.11.2021

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4)कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आंबटन नियम 1970 के विरुद्व अप्रार्थीगण पेश किया है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 64 रकबा 12 बिस्वा, 681 रकबा 1.05 बीघा किता 2 रकबा 1.17 बीघा वाके ग्राम भौसींगा तहसील नदबई स्थित है जिसकी किस्म बंजड सिवायचक लगानी दर्ज थी। जिसका आवंटन पट्टा कमेटी द्वारा दिनांक 09.10.1976 को अप्रार्थी संख्या 01 बुद्वी पुत्र चिरमोली जाटव निवासी भौसींगा को किया गया था। अप्रार्थी संख्या 1 ने खसरा नम्बर 64 पर बडे पोशीदा तरीके कहीं पर बल्दीयत बदलकर व कहीं पर बल्दीयत की जगह नामालूम लिखकर उक्त खसरा नम्बर में आंवटन अपने हक में करा लिया जबकि खसरा नम्बर 64 का कुल रकबा 12 बिस्वा ही जिसमें से 8 बिस्वा रकबे पर अप्रार्थी को कैसे आवंटन हो सकता है। खसरा नम्बर 64 में 12 बिस्वा भूमि का आंवटन बुद्वी पुत्र चिरमोली के नाम से कराया व

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0

खसरा नम्बर 64 रकबा 8 बिस्वा का आवंटन बुद्वी पुत्र मनफूल के नाम से कराया और सेटिलमेन्ट विभाग के खसरा नम्बर 64 के हाल खसरा नम्बर 91, 92, 91/1960 बनाये गये है और अप्रार्थी के खाते में 12 बिस्वा के स्थान पर 26 ऐयर खातेदारी में दर्ज हो गया। प्रार्थी भी खसरा नम्बर 91 व 92 का खातेदार काश्तकार है और खसरा नम्बर 64 का 8 बिस्वा रकबा प्रार्थी की जोत में है न कि अप्रार्थी की जोत में। अप्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में 25 ऐयर रकबा गलत रूप से अंकित है और खसरा नम्बर 64 हाल ख0न0 91 व 92 को लट्ठ के बल पर अपने कब्जे में करना चाहता है जबकि अप्रार्थी को आ0ख0न0 64 में से 12 विस्वा का ही आवंटन हुआ था जिसका रकबा 10 ऐयर होता है।

अभिभाषक अप्रार्थी ने कथन किया है कि इस प्रकार नामान्तकरण संख्या 68 में बुद्वी पुत्र नामालूम अंकित है। इससे स्पष्ट है कि बुद्वी पुत्र मनफूल नाम का कोई व्यक्ति ग्राम भौसींगा में नही है। अप्रार्थी द्वारा अपने नाम अंकन फर्जकारी कर करा लिया है जो कानून के विपरीत है। आवंटन दिनांक 09.10.1976 को काबिल मंसूखी है। प्रार्थी अपने खातेदारी से मिला खसरा नम्बर 91 व 92 पर काश्त करते चले आ रहे है। अप्रार्थी ने दिनांक 20.05.2014 को धमकी दी है कि खसरा नम्बर 64 को मैने अपने तरीके से दो बार नाम बदलकर आंवटन करवा लिया है जिसकी पैमाइश कराकर 8 बिस्वा रकबा से तुम्हे बेदखल कर देगें। प्रार्थी ने दिनांक 20.05.2014 को धमकी के बाद दिनांक 23.05.2014 व 28.05.2014 को नकल प्राप्त हुई तथा असल आवंटन की नकल प्राप्त नही हुई है। दिनांक 20.05.2014 को से प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14(4) बिना किसी देरी से प्रस्तुत किया गया है। दिनांक 09.10.1976 से दिनांक 20.5.2014 तक के समय को प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद शुमार किये जाने व धारा 5 म्याद का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पृथक से प्रस्तुत किया है। अन्त में अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिनांक 09.10.1976 बाबत आराजी खसरा नम्बर 64 रकबा 8 विस्वा का पटटा कमेटी का आवंटन निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण एवं पत्रावली तहत तलब की गई। बहस उभय पक्षकारान अभिभाषक की बहस सुनी गई।

पत्रावली का अध्ययन किया गया। प्रार्थी अभिभाषक कथनों पर गौर किया गया।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुए कथन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 64 रकबा 8 विस्वा का पट्टा कमेटी का आवंटन आदेश दिनांक 09.10.1976 बुद्वि पुत्र चिरमोली के नाम स्वीकृत हुआ है जो कि अवैध तरीके से गैर प्रार्थी ने अपनी बल्दियत बदलकर व कहीं पर बल्दियत की जगह नामालूम लिखकर आवंटन अपने हक में कराया गया है। खसरा नम्बर 64 में 12 बिस्वा भूमि का आंवटन बुद्वी पुत्र चिरमोली के नाम से कराया व खसरा नम्बर 64 रकबा 8 बिस्वा का आवंटन बुद्वी पुत्र मनफूल के नाम से कराया

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0

और सेटिलमेन्ट विभाग के खसरा नम्बर 64 के हाल खसरा नम्बर 91,92, 91/1960 बनाकर अप्रार्थी को 12 बिस्वा के स्थान पर 26 ऐयर खातेदारी में दर्ज हो गया। प्रार्थी भी खसरा नम्बर 91 व 92 का खातेदार काश्तकार है और खसरा नम्बर 64 का 8 बिस्वा रकबा प्रार्थी की जोत में है न कि अप्रार्थी की जोत में। अप्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में 25 ऐयर रकबा गलत रूप से अंकित है और खसरा नम्बर 64 हाल ख0न0 91 व 92 को लट्ठ के बल पर अपने कब्जे में करना चाहता है जबकि अप्रार्थी को आ0ख0न0 64 में से 12 विस्वा का ही आवंटन हुआ था जिसका रकबा 10 ऐयर होता है। अभिभाषक अप्रार्थी ने कथनों में तर्क किया है कि नामान्तकरण संख्या 68 में बुद्वी पुत्र नामालूम अंकित है। इससे स्पष्ट है कि बुद्वी पुत्र मनफूल नाम का कोई व्यक्ति ग्राम भौसींगा में नही है। अप्रार्थी द्वारा अपने नाम अंकन फर्जकारी कर करा लिया है जो कानून के विपरीत है। अप्रार्थी ने प्रार्थी को दिनांक 20.05.2014 को धमकी के बाद दिनांक 23.05.2014 व 28.05.2014 को नकल प्राप्त हुई तथा असल आवंटन की नकल प्राप्त नही हुई है। दिनांक 20.05.2014 को से प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14(4) बिना किसी देरी से प्रस्तुत किया गया है। दिनांक 09.10.1976 से दिनांक 20.5.2014 तक के समय को प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद शुमार किये जाने व धारा 5 म्याद का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पृथक से प्रस्तुत किया है। अन्त में अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिनांक 09.10.1976 बाबत आराजी खसरा नम्बर 64 रकबा 8 विस्वा का पटटा कमेटी का आवंटन आदेश निरस्त करने का निवेदन किया है।

अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि पट्टा कमेटी द्वारा दिनांक 09.10.1976 को अप्रार्थी को खसरा नम्बर 64 में 08 बिस्वा भूमि वाके ग्राम भौसींगा तहसील नदबई में आवंटन किया गया है जिसका नामान्तकरण संख्या 68 खोला गया व नामान्तकरण सख्या 170 दिनांक 25.01.1983 से खातेदारी का इन्द्राज किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित कथन असत्य व मनगढन्त है। अप्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार जाल साजी व फर्जकारी नही की है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र म्याद बाहर प्रस्तुत किया गया है जो कि काबिल निरस्त किये जाने योग्य है। अन्त में अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 14(4) खारिज किये जाने की प्रार्थना की है।

हमने पत्रावलियों का अध्ययन किया। प्रार्थी अभिभाषक कथनों पर गौर किया। पत्रावली का अवलोकन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया। प्रथमतः अपील के मियाद बिन्दु पर विचार किया गया। अपीलान्ट द्वारा यह अपील काफी विलम्ब से पेश की गई है। हालांकि अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र पेश किया है किन्तु अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का कोई सन्तोषजनक कारण स्पष्ट नहीं किया है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना के समर्थन में जमाबंदी सम्वत् हाल 2066–2069, मिलान क्षेत्रफल, नामान्तकरण संख्या 68, जमाबंदी सम्वत् 2035–38 तथा

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

जमाबंदी सम्वत् 2039–42, जमाबंदी सम्वत् 2025–29 की पेश की है। प्रार्थी ने आवंटन आदेश दिनांक 09.10.1976 पट्टा कमेटी द्वारा अप्रार्थी को आवंटित आराजी खसरा नम्बर 64 से 08 बिस्वा वाके ग्राम भौसींगा तहसील नदबई को नियम विरूद्व होने से निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड से जाहिर है कि आंबटन सलाहाकार समिति भरतपुर (एस.डी.ओ.भरतपुर) द्वारा दिनांक 09–10–1976 को ग्रांम भौसींगा तहसील नदबई में सूची अनुसार 22 व्यक्तियों को विभिन्न आराजी का आंबटन किया गया था। विवदित आराजी खसरा नम्बर 64 रकवा 08 विस्वा का आबटन बुद्वी जाटव को किया गया है। उक्त आदेश में विवादित आराजी खसरा नम्बर 64 रकवा 08 विस्वा ग्रांम भौसींगा तहसील नदबई में आंबटन बुद्वी जाटव को 08 विस्वा का आंबटन किया जाना भी दर्ज है। मुताबिक आंबटन आदेश नामान्तकरण संख्या 68 से बुद्वी पुत्र नामालूम जाटव को गैर खातेदार दर्ज हुआ है तथा नामान्तकरण संख्या 170 दिनांक 25.01.1983 से गैर खातेदार से खातेदारी का अंकन होना पाया जाता है। तहत पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड अनुसार यह निर्विवाद है कि आंबटन सलाहाकार समिति द्वारा किया गया आंबटन नियामानुसार किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नही पाते है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाते है।

अतः आदेश है किः–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) खारिज किया जाता है। निर्णय प्रति के साथ पत्रावली वापिस लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 02.11.2021 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर
भरतपुर